10रु. 10रु. Rs.10
दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खंडपीठ भोपाल म०प्र०

राज॰पुनरीक्षण प्र॰क्र :- ग्राम - लुचगांव

प्रस्तुत दिनांक :- / /

R-2142-PBI/14

पुनरीक्षणकर्ता :- धनसिंह आ० लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम- नकवाडा, तहसील हरदा जिला हरदा (म०प्र०)

बनाम

उत्तरवादी :- राधेश्याम आ० लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम - नकवाडा तहसील हरदा जिला हरदा (म०प्र०)

श्री दीपक कुमार मालवीय अभिभाषक द्वारा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959 :-

आज दिनांक 9-7-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
[signature]
9-7-14

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रहटगांव के रा॰प्र॰क्रमांक - 37अ-27 वर्ष 2011-12 ग्राम - लुच गांव मे लिखी आदेशिका दिनांक23.6.14 से दुखी एवं असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारो पर यहपुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2142-पीबीआर / 2014 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11–7–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–6–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि बटवारे की कार्यवाही में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, जिसके निराकरण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण होने तक बटवारे की कार्यवाही स्थगित की जाये । इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि व्यवहार वाद क्रमांक 70–अ / 10 में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गये थे, जो कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 5–1–2013 एवं 5–2–2013 को आदेश पारित कर निरस्त किए जा चुके हैं । अतः तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित करने संबंधी आवेदन पत्र निरस्त किए जाने से आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर कार्यवाही स्थगित की जाना मान्य योग्य नहीं रह जाता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	